

नागरिकशास्त्र

हमारी स्थानीय शासन संस्थाएँ

अनुक्रमणिका

पाठ का नाम	पृष्ठ क्र.
१. हमारा सामाजिक जीवन	५९
२. समाज में विविधता	६२
३. ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएँ.....	६५
४. नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएँ.....	७१
५. जिला प्रशासन.....	७७

नागरिकशास्त्र विषय की क्षमताएँ : छठी कक्षा

अपेक्षा की जाती है कि छठी कक्षा के अंत तक विद्यार्थियों में निम्न क्षमताएँ विकसित हों।

अ. क्र.	घटक	क्षमताएँ
१.	समाज	- समाज में विभिन्न घटकों के परस्पर सहयोग से अनुशासन व नियमों का आदर करने की प्रवृत्ति विकसित करना। - व्यक्ति, परिवार और संस्था मिलकर समाज बनाता है; यह समझना। - भारत में विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले एवं विविध धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें एकता पाई जाती है, यह समझना। - राष्ट्रीय एकात्मता के लिए सर्वधर्मसमभाव की नितांत आवश्यकता का बोध करना।
२.	सामाजिक नियम ग्रामीण भागों के नियम	- सार्वजनिक समस्याएँ सुलझाने के लिए प्रत्येक का सहयोग आवश्यक है; यह समझना। - ग्राम सभा में महिलाओं का सक्रिय सहभाग होता है; यह समझना। - पंचायत समिति के पदाधिकारी और प्रशासन की जानकारी प्राप्त करना। - जिला परिषद के पदाधिकारी और प्रशासन की जानकारी प्राप्त करना। - स्थानीय शासन संस्थाएँ लोकतंत्र की नींव हैं; यह समझना।
३.	सामाजिक नियम नगरीय भागों के नियम	- नगरीय स्थानीय शासन संस्था की संरचना व कार्यों को समझना। - नगरीय स्थानीय शासन संस्था के पदाधिकारियों व प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त करना। - ग्रामीण व नगरीय भागों की समस्याएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, यह समझना।
४.	जिला प्रशासन	- जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका को समझना। - जिला पुलिस प्रशासन की जानकारी प्राप्त करना। - न्यायालय का महत्त्व समझना। - स्थानीय प्रशासन लोककल्याण के लिए ही होता है, यह समझना। - आपदा निवारण कार्य में प्रशासन के साथ-साथ लोकसहभाग की आवश्यकता को समझना।

१. हमारा सामाजिक जीवन

१.१ मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई?

१.२ मनुष्य में समाजशीलता

१.३ हमारा विकास

१.४ समाज से क्या तात्पर्य है ?

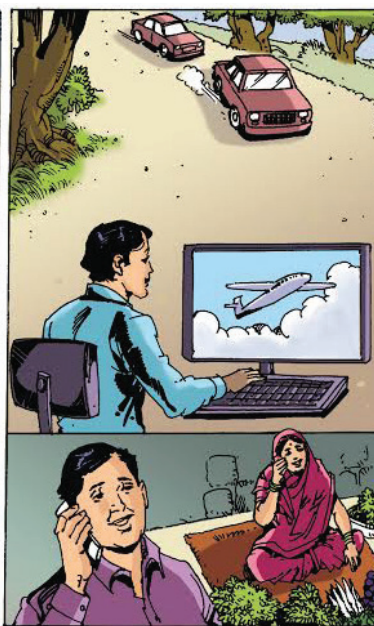
पाँचवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में मानव की उत्क्रांति किस प्रकार हुई, यह तुम सीख चुके हो। हमारा वर्तमान सामाजिक जीवन हजारों वर्षों के विकास (उत्क्रांति) का ही परिणाम है। मनुष्य ने घुमक्कड़ी अवस्था से स्थिर सामाजिक जीवन की ओर प्रगति की है।

फलस्वरूप रूढ़ियाँ, परंपराएँ, नैतिक मूल्य, नियम और कानून बनाए गए। इस कारण मनुष्य का सामाजिक जीवन और अधिक संगठित और स्थायी हुआ।

१.२ मनुष्य में समाजशीलता

मनुष्य स्वभावतः समाजप्रिय है। हम सभी को एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के पारस्परिक सहयोग से लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। सभी के साथ रहना जिस प्रकार आनंद की बात है वैसे ही वह हमारी आवश्यकता भी है।

हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं। भोजन, वस्त्र, निवास आदि हमारी शारीरिक



आगामी ५० वर्षों के बाद समाज कैसा होगा, इस विषय पर विचार-विमर्श करो।

१.१ मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई?

व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिए स्थायी व सुरक्षित सामूहिक जीवन आवश्यक है। घुमक्कड़ी अवस्था में मनुष्य स्थायी व सुरक्षित नहीं था। समूह में रहने से सुरक्षा मिलेगी, इस बात का बोध होने से मनुष्य संगठित रूप में जीवनयापन करने लगा। समाज के निर्माण के पीछे यह भी एक प्रमुख प्रेरणा थी। समाज में प्रतिदिन के व्यवहार को सुचारु रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता अनुभव हुई।

आवश्यकताएँ हैं। उनके पूर्ण होने पर मनुष्य को स्थिरता मिलती है। परंतु मनुष्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता क्योंकि हमारी कुछ भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताएँ भी होती हैं। जैसे-स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना, यह हमारी भावनात्मक आवश्यकता है। आनंदित होने पर हमें वह आनंद किसी को बताने की इच्छा होती है। दुख में लगता है कि कोई हमारे साथ हो। हमारे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के सानिध्य में रहना हमें अच्छा लगता है। इसके द्वारा ही हमारी सामाजिकता प्रकट होती है।



बोलो और लिखो ।

चित्रकला की प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिला है । उसे अपने पास रखोगे कि मित्रों-सहेलियों को दिखाओगे ? तुम्हारे पुरस्कार के प्रति उनसे तुम किस प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हो ? उनकी प्रतिक्रिया पाकर तुम्हें कैसा लगा ?

- सराहना करने पर बहुत अच्छा लगा ।
- अच्छे चित्र बनाने की प्रेरणा मिली ।
- तुम्हें और क्या लगा ? इस बारे में लिखो ।

तुम जानते हो कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं । समाज में लोगों के परिश्रम एवं कौशल द्वारा वस्तुएँ निर्मित होती हैं । शिक्षा और स्वास्थ्यविषयक सेवा-सुविधाओं के कारण हम सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं । ये सारी बातें हमें समाज में उपलब्ध होती हैं । विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों से हमारी आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं । जैसे-हमें पढ़ाई हेतु पुस्तकों की आवश्यकता होती है । पुस्तकों के लिए कागज की आवश्यकता होती है । इससे कागज निर्माण उद्योग, छापाखाना और पुस्तक सिलना, जिल्द व्यवसाय आदि उद्योगों का विकास होता है । अनेक लोगों का इसमें योगदान रहता है । समाज के विभिन्न व्यवसायों द्वारा हमारी आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं । इसके द्वारा हमारी क्षमताओं और कौशलों का विकास होता है । समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । समाज की सुरक्षा, सराहना, प्रशंसा, सहयोग आदि घटकों के लिए हम सभी एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं । इसीलिए हमारा सामाजिक जीवन परस्परअवलंबी होता है ।



करके देखो

सुबह उठने के बाद हमें किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनकी एक सूची तैयार करो । उनमें से कम-से-कम पाँच वस्तुओं को बनाने और तुम तक पहुँचाने की प्रक्रिया में किस-किस का सहयोग होता है; वह ढूँढो ।

१.३ हमारा विकास

प्रत्येक मनुष्य में स्वभावतः कुछ गुण और क्षमताएँ होती हैं । वे सुप्त अवस्था में होती हैं । समाज के कारण ही मनुष्य के सुप्त गुणों का विकास होता है । एक-दूसरे से बोलने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं परंतु वह भाषा हमें जन्म से ज्ञात नहीं होती । उस भाषा को हम धीरे-धीरे सीखते हैं । सबसे पहले हम वह भाषा सीखते हैं जो हमारे परिवार में बोली जाती है । यदि हमारे पड़ोसी भिन्न भाषा बोलनेवाले लोग हैं तो उस भाषा से भी हमारा परिचय होता है । विद्यालय में भी विभिन्न भाषाएँ सीखने का अवसर मिलता है ।

हमारे पास स्वतंत्र विचार करने की भी क्षमता होती है । जैसे-विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को एक ही विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है परंतु कोई भी दो निबंध एक जैसे क्यों नहीं होते ? क्योंकि सबके विचार अलग-अलग होते हैं । समाज के कारण ही हमारी भावनात्मक क्षमता और विचार शक्ति में वृद्धि होती है । समाज के कारण हमें अपने विचार और भावनाएँ अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है ।

समाज के फलस्वरूप मनुष्य के कलात्मक गुणों का विकास भी होता है । गायक, चित्रकार, वैज्ञानिक, साहसी-वीर, सामाजिक कार्य करनेवाले विभिन्न व्यक्तियों के गुणों का विकास समाज के प्रोत्साहन व समर्थन से ही संभव होता है । उन्हें प्राप्त होनेवाला यह प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है ।

१.४ समाज किसे कहते हैं ?

समाज में स्त्री-पुरुष, वयस्क, वृद्ध, छोटे लड़के-लड़कियाँ सभी का समावेश होता है । हमारे परिवार हमारे समाज के घटक होते हैं । समाज में विभिन्न गुट, संस्थाएँ, संगठन होते हैं । लोगों में पारस्परिक संबंध-व्यवहार, उनके बीच के आदान-प्रदान आदि का समावेश समाज में ही होता है । मनुष्यों के जत्थे या भीड़ को समाज नहीं कहते बल्कि जब किसी समान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लोग एकत्रित आते हैं, तब उनका समाज बनता है ।

भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें समाज में स्थायी शासन व्यवस्था निर्माण करनी पड़ती है। ऐसी



क्या तुम जानते हो ?

जन्म से सभी मनुष्य एक समान हैं। मनुष्य के रूप में सभी का स्थान समान है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के सम्मुख समान हैं। संविधान द्वारा हमें समान अवसर प्राप्ति की गारंटी दी गई है। शिक्षा, क्षमता व कौशलों का उपयोग कर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं।

व्यवस्था के बिना समाज के दैनिक व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते। समाज का अस्तित्व बने रहने के लिए व्यवस्था का होना आवश्यक है। जैसे- अनाज की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए खेती करना आवश्यक है। खेती से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है। खेती के औजार बनाने के कारखाने; किसानों को ऋण देने के लिए बैंक, उत्पादित माल बेचने के लिए उपज मंडी जैसी व्यापक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। ऐसी विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा समाज को स्थिरता प्राप्त होती है।

अगले पाठ में हम भारत की सामाजिक विविधता का परिचय प्राप्त करेंगे।



स्वाध्याय

१. रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो।

- (१) समाज में दैनिक व्यवहार को सुचारु रूप से चलाने के लिए मनुष्य को की आवश्यकता अनुभव हुई।
- (२) मनुष्य के कलात्मक गुणों का विकास में ही होता है।
- (३) हमारी कुछ भावनात्मक और आवश्यकताएँ होती हैं।

२. निम्न प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखो।

- (१) हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ कौन-सी हैं?
- (२) हमें किसके सान्निध्य में रहना अच्छा लगता है?
- (३) समाज के कारण हमें कौन-से अवसर प्राप्त होते हैं?

३. तुम्हें क्या लगता है ? दो से तीन वाक्यों में उत्तर लिखो।

- (१) समाज का निर्माण किस प्रकार होता है ?
- (२) समाज में स्थायी स्वरूप की व्यवस्था क्यों निर्मित करनी पड़ती है ?

- (३) मनुष्य का सामाजिक जीवन अधिक संगठित व स्थायी किस कारण होता है ?

- (४) समाज व्यवस्था अस्तित्व में न होती तो कौन-सी समस्याएँ निर्माण हो सकती थीं ?

४. निम्न प्रसंगों में क्या करोगे ?

- (१) तुम्हारे मित्र/सहेली की शालेय सामग्री घर पर रह गई है।
- (२) रास्ते पर कोई दिव्यांग व्यक्ति मिले।

उपक्रम :

- (१) खेती के औजार निर्मित करनेवाले किसी कारीगर से मिलो। उस कार्य में उसे किस-किसकी सहायता प्राप्त होती है, उसकी सूची बनाओ।
- (२) निकट के किसी बैंक में जाओ। वह बैंक किन-किन कार्यों के लिए ऋण देता है; उसकी जानकारी प्राप्त करो।
- (३) मानव की मूलभूत व नई आवश्यकताओं की सूची तैयार करो।

२. समाज में विविधता

२.१ विविधता ही हमारी शक्ति

२.२ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत

२.३ हमारे व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान

२.४ समाज का नियमन

भारतीय समाज में अनेक भाषाएँ, धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपराएँ प्रचलित हैं। यह विविधता ही हमारी सांस्कृतिक संपन्नता है। हमारे आस-पास मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाएँ बोलनेवाले लोग रहते हैं। वे सभी अलग-अलग पद्धतियों से तीज-त्योहार, उत्सव मनाते हैं। उनकी पूजा-अर्चना की पद्धतियाँ अलग-अलग होती हैं। विभिन्न ऐतिहासिक विरासत प्राप्त प्रदेश हमारे देश में हैं। इन सभी के बीच विविधता का आदान-प्रदान होता रहता है। वर्षों से एक साथ रहने के कारण एकता की भावना निर्मित हो गई है। इसके द्वारा ही भारतीय समाज की एकता दिखाई देती है।

२.१ विविधता ही हमारी शक्ति

विभिन्न समूहों के साथ मिल-जुलकर रहना ही सहअस्तित्व अनुभव करना है। ऐसे सहअस्तित्व से हमारे बीच सामंजस्य बढ़ता है। इसके कारण हम एक दूसरे के रीति-रिवाजों और जीवन पद्धति से परिचित होते हैं। हम एक-दूसरे की जीवन पद्धति का आदर करना सीखते हैं। साथ ही दूसरों की कुछ प्रथाओं और परंपराओं को भी ग्रहण करते हैं। इसी से समाज में एकता बढ़ती है। सामाजिक एकता द्वारा हम प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं।

२.२ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत

भारतीय समाज में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। उनके बीच परस्पर सामंजस्य बढ़े; विभिन्न धर्म के लोगों को उनकी श्रद्धानुसार पूजा-अर्चना करने की स्वतंत्रता

प्राप्त हो; इसलिए हमारे संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

संसार में भारत एक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश में बड़ी मात्रा में भाषाई और धार्मिक विविधता पाई जाती है। इस विविधता को स्वस्थ रूप में संरक्षित रखने के लिए हमने धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत को स्वीकार किया है। जिसके अनुसार

- हमारे देश में शासन द्वारा किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है।

- प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने धर्म अथवा अपनी पसंद के धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है।

- धर्म के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिए गए हैं।

- शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता।

- धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा के माध्यम से अपने-अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है।

- धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है।

२.३ हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज का योगदान

समाज में रहकर हम क्या सीखते हैं? कौन-से गुण ग्रहण करते हैं? हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज किस प्रकार सहायता करता है? इसको हम यहाँ समझेंगे।

सहयोग: प्रत्येक समाज व्यक्ति और समूह के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है। एक-दूसरे के

सहयोग के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता। एक-दूसरे की समस्याएँ और प्रश्नों को हल करने के लिए एक-दूसरे की पारस्परिक सहायता करना सहयोग कहलाता है। हमारे परिवार के सदस्यों में यदि ऐसी प्रवृत्ति न हो तो परिवार नहीं चल सकता, यही बात समाज की भी है। सहयोग के बिना समाज का विकास रुक जाता है और दैनिक जीवन सुचारु रूप से नहीं चल सकता। सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है और समाज के सभी लोगों को सम्मिलित कर लेना संभव होता है। सभी घटकों को साथ लेकर चलने की यह एक प्रक्रिया होती है।



विचार-विमर्श करें।

हमें समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों और लड़कियों की शिक्षा तथा उनके विकास के लिए सहयोग देना चाहिए। इसके लिए शासन द्वारा कौन-कौन-सी योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं, उनकी जानकारी एकत्र करो। इन घटकों के विकास के लिए तुम क्या करोगे, इस विषय पर कक्षा में विचार-विमर्श करो। विचार-विमर्श के महत्वपूर्ण मुद्दे अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों तक भी पहुँचाओ।

सहिष्णुता और सामंजस्य : समाज में जिस प्रकार सहयोग की भावना होती है, वैसे ही कभी-कभी मतभेद, विवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के मतों/विचारों और दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित न हो तो विवाद और संघर्ष निर्माण हो सकते हैं। एक-दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह अथवा भ्रम भी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। दीर्घकाल तक संघर्ष जारी रखना किसी के हित में नहीं होता। आपसी समन्वय और समझौतों के माध्यम से ही मनुष्य संघर्ष का निवारण करना सीखता है। यदि थोड़ा सामंजस्य रखते हुए सहिष्णुता वृत्ति को दर्शाए तो संघर्ष समाप्त हो सकता है।

सामंजस्य की वजह से हम अनजाने में अनेक नई

बातें सीखते हैं। नए विचारों को आत्मसात करते हैं। इन विचारों की मदद से हमारा सामाजिक जीवन अधिक समृद्ध बनता है। हमारी सहिष्णुता में वृद्धि होती है। सामाजिक स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए इस एक सरल पद्धति को सीखने का अवसर समाज के कारण ही प्राप्त होता है।



करके देखो :

तुम भी समाज में अनेक स्थानों पर समन्वय करते होंगे। नीचे तुम्हारे ही कुछ अनुभव दिए गए हैं। उनमें कुछ अन्य अनुभवों को सम्मिलित करो।

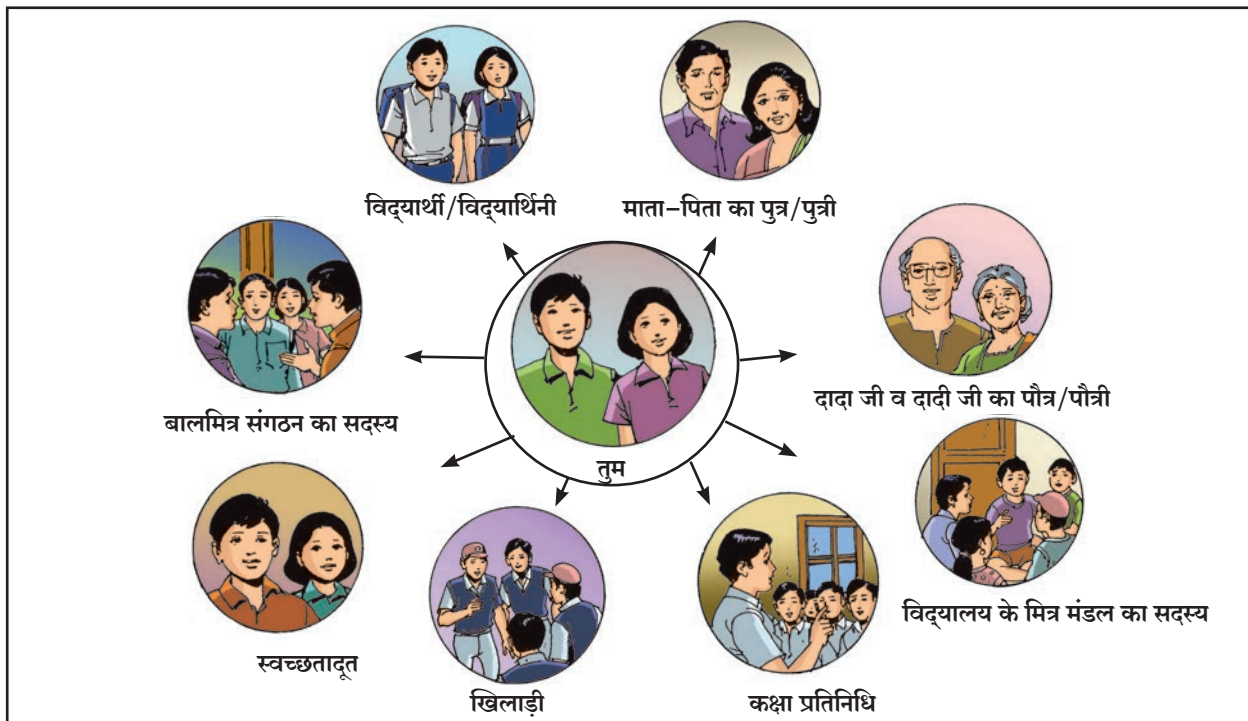
- (अ) सभागृह लोगों से खचाखच भरा हुआ है। एक व्यक्ति बैठने के लिए जगह ढूँढ़ रहा है, उसे तुमने अपनी बेंच पर थोड़ी-सी जगह में बैठा लिया।
- (ब) तुम्हें गेयरवाली साईकिल चाहिए परंतु दीदी की फीस के पैसे भी भरने हैं। तुम अपनी जिद छोड़ देते हो।
- (क) खेती की मेंड़(सीमा) को लेकर पड़ोसी के साथ चल रहा विवाद न्यायालय में न ले जाकर तुमने आपस में ही हल कर लिया। पड़ोस का सोपान अब तुम्हारा प्रिय मित्र बन गया है।

विविध भूमिकाएँ निभाने के अवसर : समाज में हमारी अनेक भूमिकाएँ होती हैं। एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता रहता है। प्रत्येक भूमिका में कुछ दायित्व और कर्तव्य निश्चित होते हैं। परिवार और परिवार से बाहर इन्हीं भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं।



करके देखो :

विभिन्न भूमिकाएँ निभाने के अवसर : तुम्हारी वर्तमान भूमिका को बताने वाला चित्र अगले पृष्ठ पर देखो। २० वर्षों के बाद तुम्हें और किन-किन नई भूमिकाओं को निभाना पड़ेगा, उसपर विचार-विमर्श करो।



२.४ समाज का नियमन

समाज में दैनिक व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। पूर्व समय में समाज का नियमन अधिकांश रूप में रूढ़ी और परंपराओं द्वारा होता था परंतु आधुनिक समाज का नियमन रूढ़ी, परंपराओं के साथ-साथ कानून द्वारा भी

हो रहा है। कानून का स्वरूप रूढ़ियों, परंपराओं, संकेतों की तुलना में भिन्न होता है। इन सभी बातों के आधार पर हमारे समाज का नियमन अनेक संस्थाओं व संगठनों द्वारा किया जाता है। स्थानीय शासन संस्थाएँ भी समाज के नियमन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।



स्वाध्याय

१. रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो।

- (१) विभिन्न समूहों के साथ मिल-जुलकर रहना अर्थात् अनुभव करना है।
- (२) संसार में भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है।
- (३) सहयोग के कारण समाज में अधिक स्वस्थ होता है।

२. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखो।

- (१) सहयोग किसे कहते हैं?
- (२) हमने धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत को क्यों स्वीकार किया है?

३. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखो।

- (१) भारतीय समाज की एकता किससे प्रकट होती है?

- (२) समाज में संघर्ष कब निर्माण होता है?
- (३) सहयोग से कौन-कौन-से लाभ होते हैं?
- (४) तुम्हारे सामने दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो तुम क्या करोगे?
- (५) तुम विद्यालय के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री हो, तुम कौन-कौन-से कार्य करोगे?

उपक्रम :

- (१) शिक्षकों की सहायता से विद्यालय में सहकारी सिद्धांत पर किशोर वस्तु भंडार चलाओ। उसके बारे में अपने अनुभव लिखो।
- (२) विद्यालय और कक्षा में तुम किन-किन नियमों का पालन करते हो, उनकी तालिका बनाकर कक्षा में लगाओ।

३. ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएँ

३.१ ग्राम पंचायत

३.२ पंचायत समिति

३.३ जिला परिषद

समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में इन शासन संस्थाओं के साथ-साथ संघ शासन व राज्य शासन भी समाज का नियमन करने के कार्य में सहभागी रहता है। स्थानीय शासन संस्थाओं का मोटे तौर पर ग्रामीण व नगरीय शासन संस्थाओं में वर्गीकरण किया जाता है। इस पाठ में हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सामूहिक रूप में 'पंचायती राज्य व्यवस्था' या पंचायती राज कहते हैं।



क्या तुम जानते हो?



हमारे देश में तीन स्तरों पर शासनकार्य चलता है। संपूर्ण देश का शासन संघ शासन चलाता है। रक्षा, विदेश नीति व मुद्रा आदि विषय संघ शासन के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय स्तर पर राज्य का शासन होता है। महाराष्ट्र शासन कानून, सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कानून बनाता है। तृतीय स्तर पर स्थानीय शासन संस्थाएँ होती हैं। ग्रामीण भागों में स्थानीय शासन संस्थाओं को 'पंचायती राज्य व्यवस्था' कहते हैं।

स्थानीय शासन संस्थाएँ

ग्रामीण	नगरीय
ग्राम पंचायत	नगर पंचायत
पंचायत समिति	नगरपालिका
जिला परिषद	महानगरपालिका

३.१ ग्राम पंचायत

प्रत्येक गाँव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ५०० से कम हैं; ऐसे दो अथवा दो से अधिक गाँवों के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है, इसे 'ग्राम पंचायत खंड' कहते हैं। पेयजल की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, जन्म-मृत्यु और विवाह का पंजीकरण आदि कार्य ग्राम पंचायत करती है।

ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी :

सरपंच : ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद होते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में चुनकर आए हुए सदस्यों में से ही सरपंच और उपसरपंच का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत की सभाएँ सरपंच की अध्यक्षता में होती हैं। गाँव के विकास की योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व सरपंच का होता है। यदि सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं चलाता है तो सदस्य उसके विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच ग्राम पंचायत के कामकाज को संभालता है।

ग्राम सेवक : ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना आदि कार्य 'ग्राम सेवक' करता है।

ग्राम सभा : ग्रामीण भाग में रहने वाले अथवा गाँव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है।

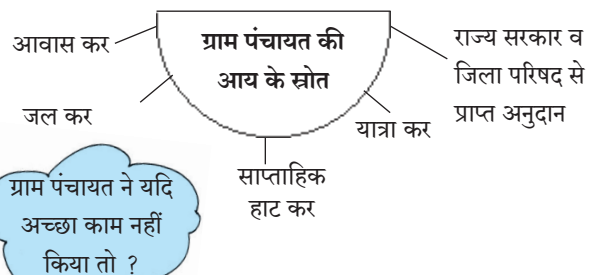
प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की छह बैठकें होना अनिवार्य है। ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व सरपंच पर होता है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत, आय-व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है। ग्राम सभा

की सूचना ग्राम पंचायत को दी जाती है। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन-से लोग पात्र हैं; यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को होता है।

ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान : ग्राम सभा प्रारंभ होने से पूर्व महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है। वहाँ महिलाएँ अधिक खुलकर और सहज होकर विविध प्रश्नों पर विचार-विमर्श करती हैं। पेयजल, शराबबंदी, रोजगार, ईंधन, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से बोल सकती हैं।

आवश्यक परिवर्तन लाने के उपाय भी बताती हैं।

ग्राम पंचायत की आय के स्रोत : गाँव के विकास के लिए ग्राम पंचायत अनेक योजनाएँ व उपक्रम चलाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास धन होना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत विविध करों के माध्यम से धन एकत्र करती है।



ग्राम पंचायत के चुनाव तो हो गए। गाँव में कितनी धूमधाम थी। अब पाँच वर्षों में गाँव का विकास कैसा होता है? यह देखेंगे।

तो फिर ग्राम सभा किसलिए है? हम सभी को ग्राम सभा में उपस्थित रहना चाहिए।

इतने से क्या होता है? हमें प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने चाहिए। विकास कार्यों की जानकारी लेनी चाहिए। हमें भी नई-नई संकल्पनाएँ सुझानी चाहिए।



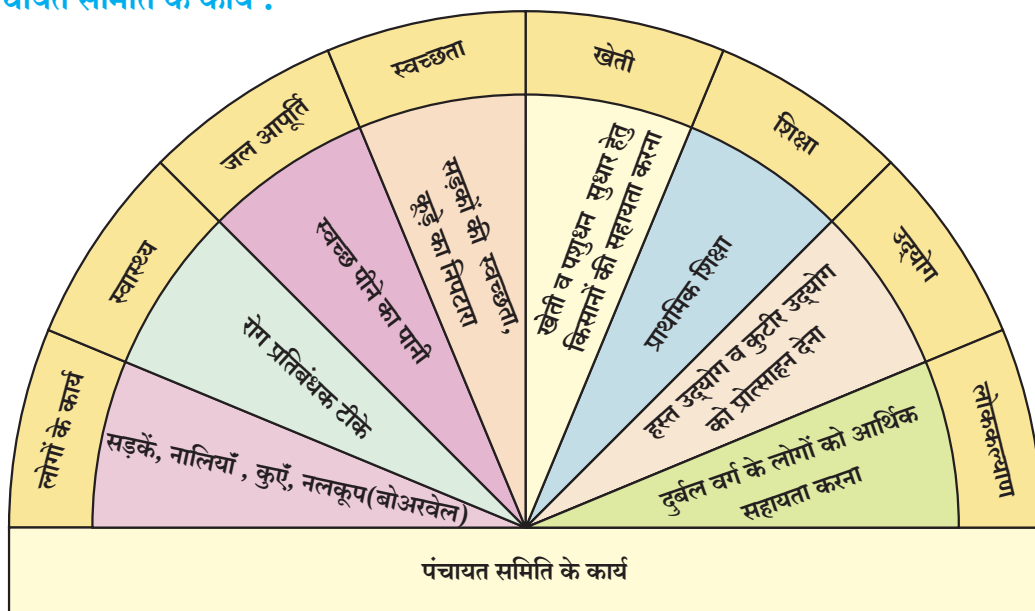
३.२ पंचायत समिति

प्रत्येक तहसील में सभी गाँवों को मिलाकर एकत्रित विकास खंड होता है। विकास खंड के प्रशासन का कार्य पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़नेवाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है।

पंचायत समिति के पदाधिकारी :

पंचायत समिति के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद होते हैं। पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है। पंचायत समिति की बैठक बुलाने और प्रशासन कार्य चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति पंचायत समिति का प्रशासन कार्य चलाता है।

पंचायत समिति के कार्य :



विकास खंड को जो कार्य करने चाहिए; उनकी योजनाओं का प्रारूप पंचायत समिति तैयार करती है। प्रत्येक महीने में पंचायत समिति की कम-से-कम एक सभा होना अनिवार्य है।

पंचायत समिति को जिला कोष से कुछ राशि मिलती है। विकास खंड द्वारा पूर्ण की जानेवाली विकास योजनाओं के लिए राज्य शासन से भी पंचायत समिति को अनुदान मिलता है।

३.३ जिला परिषद

प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होती है। महाराष्ट्र में ३६ जिले हैं परंतु जिला परिषदें ३४ ही हैं, क्योंकि मुंबई (नगर) और मुंबई उपनगर जिले ग्रामीण बस्ती के क्षेत्र नहीं हैं, इसलिए वहाँ जिला परिषद नहीं है।

जिला परिषद के पदाधिकारी : जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष में होते हैं। जिला परिषद में चुनकर आए हुए पार्षद अपनों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

जिला परिषद की सभाओं का अध्यक्ष पद जिला परिषद अध्यक्ष के पास होता है। सभाओं का कार्य उसके नियंत्रण में चलता है। जिला परिषद की आर्थिक गतिविधियों पर अध्यक्ष का नियंत्रण होता है।

जिला परिषद के कोष का उचित और आवश्यकतानुसार खर्च करने का अधिकार जिला परिषद अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्य उपाध्यक्ष करता है।



क्या तुम जानते हो ?

जिला परिषद का प्रशासन कैसे चलता है ?

जिला परिषद का कामकाज विविध समितियों द्वारा चलाया जाता है। जैसे-वित्त समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, जल प्रबंधन व स्वच्छता समिति आदि। महिला व बालकल्याण समिति महिलाओं और बालकों के विषयों पर विचार करती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी : जिला परिषद द्वारा लिये गए निर्णयों का क्रियान्वयन जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है।



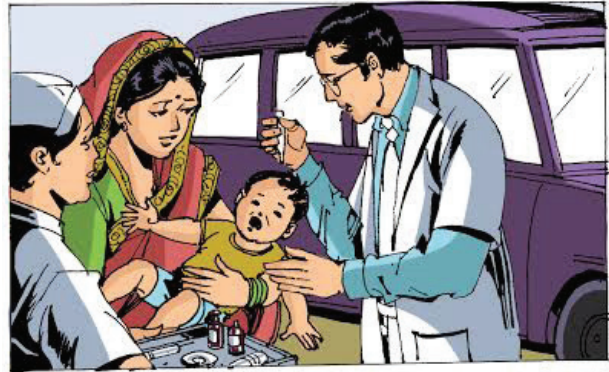
तुम क्या करोगे ?

कल्पना करो कि तुम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो । तुम अपने जिले के लिए किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दोगे ?

जिला परिषद के कार्य :



शिक्षा विषयक सुविधाएँ



स्वास्थ्य विषयक सुविधाएँ



जल आपूर्ति



खेती के बीजों की आपूर्ति



बिजली की सुविधा



गाँव के परिसर में पेड़ लगाना



क्या करोगे ?

दिनेश और नयना को निम्न कार्यों के लिए कहाँ भेजोगे ?

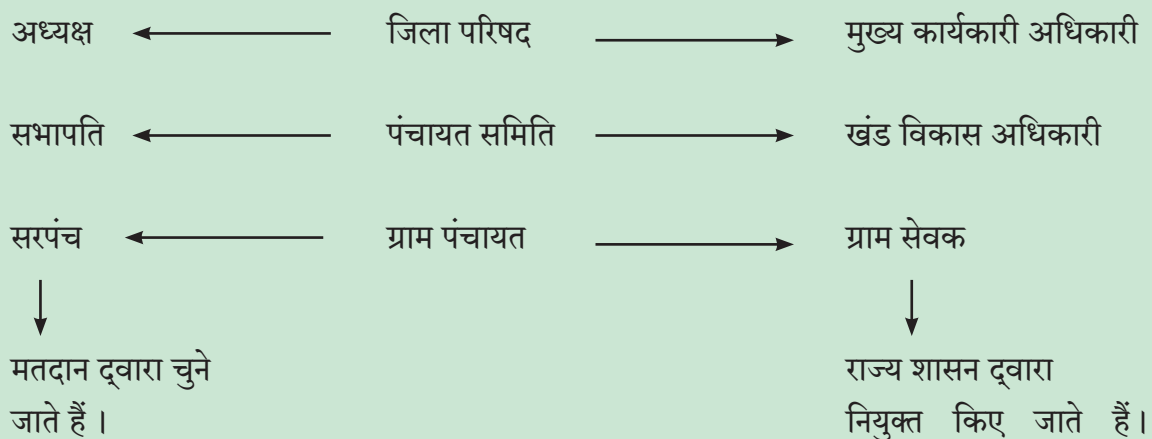
- छोटे भाई को टीका लगवाने के लिए
- अपने पिता जी के साथ (७/१२(सातबारा) का) भूमि का पट्टा लाने के लिए
- नई खादों के उपयोग संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए
- अशुद्ध जल आपूर्ति की शिकायत करने हेतु.....
- जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए
- आय/जाति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए



क्या तुम जानते हो ?

१९९२ में ७३ व ७४ वाँ संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण व नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। परिसर का विकास पूरी कार्यक्षमता से करने हेतु इन संस्थाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। उनके अधिकार क्षेत्र के विषय भी बढ़ाए गए। ये संस्थाएँ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें; इसलिए उनकी आर्थिक आय के स्रोतों में भी वृद्धि की गई।

पंचायती राज्य व्यवस्था – एक दृष्टि में



क्या तुम जानते हो ?

चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है?

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में चुनकर आने के लिए प्रत्याशी को कुछ शर्तें पूर्ण करनी पड़ती हैं। जैसे-चुनाव में खड़ा होनेवाला प्रत्याशी भारत का नागरिक हो। उसकी आयु २१ वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। उसका नाम स्थानीय मतदाता सूची में होना चाहिए। योग्यता की ये शर्तें नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के लिए भी लागू हैं।

स्थानीय शासन संस्थाएँ – ग्रामीण



स्वाध्याय

१. उचित विकल्प के सामने (✓) चिह्न लगाओ ।

- (१) प्रत्येक गाँव का स्थानीय प्रशासनचलाती है ।
ग्राम पंचायत ☐ पंचायत समिति ☐ जिला परिषद ☐
- (२) प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम
सभाएँ होना अनिवार्य है ।
चार ☐ पाँच ☐ छह ☐
- (३) महाराष्ट्र में इस समयजिले हैं ।
३४ ☐ ३५ ☐ ३६ ☐

२. सूची तैयार करो ।

पंचायत समिति के कार्य

३. तुम्हें क्या लगता है; बताओ ।

- (१) ग्राम पंचायत विविध कर निर्धारित करती है ।
(२) महाराष्ट्र में कुल जिलों की अपेक्षा जिला परिषदों की संख्या कम है ।

४. तालिका पूर्ण करो ।

मेरी तहसील, मेरी पंचायत समिति
(१) तहसील का नाम

- (२) पंचायत समिति सभापति का नाम.....
(३) पंचायत समिति उपसभापति का नाम.....
(४) खंड विकास अधिकारी का नाम
(५) खंड शिक्षा अधिकारी का नाम.....

५. संक्षेप में जानकारी लिखो:

- (१) सरपंच
(२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उपक्रम :

- (१) अभिरूप ग्राम सभा का आयोजन करके सरपंच, सदस्य, नागरिक, ग्राम सेवक की भूमिका निभाओ ।
(२) बालसंसद की रचना स्पष्ट करने वाली तालिका तैयार करो और कक्षा के दर्शनीय भाग पर चिपकाओ ।
(३) तुम्हारे परिसर अथवा शहर के पास की जिला परिषद द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी एकत्र करो ।

४. नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएँ

४.१ नगर पंचायत

४.२ नगर परिषद

४.३ महानगरपालिका

पिछले पाठ में हमने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का अध्ययन किया है। इस पाठ में हम नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में नगर पंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका का समावेश होता है।

हमारे देश में नगरों की संख्या अधिक है। नगर तेजी से बढ़ रहे हैं। गाँव से छोटे नगर, छोटे नगर से नगर तथा नगरों का महानगर में परिवर्तन होता जा रहा है। नगरों के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है।



विचार-विमर्श करें।

नगरों को ग्रसने वाली प्रमुख समस्याएँ कौन-सी हैं ?

रेश्मा शहर में अपने रिश्तेदार के घर दीवाली की छुट्टी में गई। वहाँ उसने आनंद से समय व्यतीत किया। रेश्मा वहाँ के कुछ प्रसंगों पर विचार करने लगी। रेश्मा के समान ही तुम विचार करो और उसे दो परिच्छेदों में लिखो।

- एम्बूलेंस(रुग्णवाहिका) का हार्न(सायरन) ऊँची आवाज में बज रहा था और उसे खुला रास्ता नहीं मिल रहा था।

- पानी कटौती के निर्णय के कारण पानी के टैंकर के पास भीड़ थी।

- उद्यान में छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध की जा रही थीं।

नगरों में सुविधाएँ और समस्याएँ

१. उद्योग, व्यवसाय के अवसर
२. बढ़ते सेवा क्षेत्र
३. बड़े पैमाने पर रोजगार
४. मनोरंजन, कला, साहित्य आदि सुविधाएँ उपलब्ध।

१. अपर्याप्त आवास
२. स्थान का अभाव
३. यातायात जाम
४. कूड़े के निपटारे की समस्या
५. बढ़ते अपराध
६. अस्वच्छ झुगियों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या

४.१ नगर पंचायत

नगर में रूपांतरण होने की प्रक्रिया जिन गाँवों में चलती है; वहाँ नगर पंचायत होती है। कुछ स्थान हम ऐसे भी देखते हैं; जो न तो पूर्णतः ग्रामीण होते हैं और न ही नगरीय। नगर पंचायत वहाँ की स्थानीय शासन संस्था होती है। अन्य स्थानीय संस्थाओं के अनुसार नगर पंचायत के भी चुनाव प्रति पाँच वर्षों में होते हैं।

निर्वाचित प्रतिनिधि अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

* सभी स्थानीय शासन संस्थाओं को कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। वैसे ही तुम्हारे अनुसार नगर पंचायत के आवश्यक कार्य कौन-से होते हैं ?

४.२ नगरपालिका

छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगरपालिका का निर्माण किया जाता है। नगरपालिका का चुनाव प्रति पाँच वर्ष में होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि नगरसेवक के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं।

नगरपालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगरपालिका का अध्यक्ष करता है। वह नगरपालिका के कार्यों का नियमन करता है। नगरपालिका के आर्थिक व्यवहारों पर ध्यान रखता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य चलाता है।

नगरपालिका को कुछ कार्य करने आवश्यक होते हैं, जिन्हें अनिवार्य कार्य कहा जाता है। जैसे-सार्वजनिक सड़कों पर बिजली व्यवस्था, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता और मल निस्सारण की व्यवस्था, जन्म-मृत्यु, विवाह का पंजीकरण करना आदि।

इसके अतिरिक्त नगरपालिका लोगों को और अधिक सेवा-सुविधाएँ देने के कार्य भी करती है; जिसे 'नगरपालिका के ऐच्छिक कार्य' कहा जाता है। सार्वजनिक सड़कों का परियोजन एवं उनके लिए जगह का अधिग्रहण करना, गंदी बस्तियों में सुधार कार्य, सार्वजनिक बगीचों और उद्यानों का निर्माण करना, पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना आदि सभी कार्य नगरपालिका के ऐच्छिक कार्य हैं।

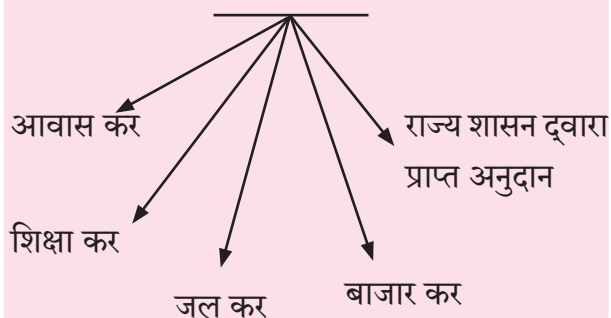


क्या तुम जानते हो ?

प्रत्येक नगरपालिका में एक मुख्य अधिकारी होता है। नगरपालिका द्वारा लिये गए निर्णयों का वह कार्यान्वयन करता है। उसकी सहायता करने के लिए अनेक अधिकारी होते हैं।

१. क्या तुम्हें ऐसा अधिकारी बनना अच्छा लगेगा ?
२. स्वास्थ्य अधिकारी बनोगे तो कौन-से कार्य करोगे ?

नगरपालिका की आय के स्रोत



तुम क्या करोगे ?

१. कूड़ा-कचरा बीनने वाले को अपने घर का कूड़ा कचरा देते समय
२. पानी की पाइपलाइन टूटने की वजह से रास्ते पर पानी जमा हो गया है
३. यदि तुम्हें पता चले कि पानीपूरी में गंदे पानी का उपयोग किया जा रहा है
४. नदी के पुल के ऊपर से अनेक लोग प्लास्टिक की थैली में निर्माल्य(उपयोग में लाई गई पूजा की सामग्री) नदी में फेंक रहे हैं
५. गंदी बस्तियों के सुधार से संबंधित नगरपालिका का कार्यक्रम समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ परंतु उसमें कोई सुधार तुम्हें उचित नहीं लग रहा है

नगरपालिका की ओर से आवाहन पत्र (अपील)

डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मच्छरों की पैदावार रोकिए। इसके लिए यह करें ...

१. पुराने टायर, नारियल की कटोरियाँ, पुराने खाली डिब्बे छज्जे पर या आसपास जमा न होने दें।
२. बुखार न उतरने पर तुरंत वैद्यकीय सहायता लें।
३. परिसर स्वच्छ रखें।

* इस आवाहन पत्र के आधार पर तुम अपने घर और परिसर में क्या करोगे ?

४.३ महानगरपालिका

बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएँ देनेवाली स्थानीय शासन संस्था को 'महानगरपालिका' कहते हैं। भारत में सबसे पहले मुंबई में महानगरपालिका की स्थापना की गई।

ढूँढ़ो तो और अधिक समझोगे...

हमारे महाराष्ट्र में कितने नगरों का कामकाज महानगरपालिका देखती है?

तुम्हारे नगर की महानगरपालिका का निर्माण कब हुआ?

शहर की जनसंख्या के अनुपात में महानगरपालिका के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। महानगरपालिका के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि नगरसेवक होते हैं। वे अपने में से किसी एक को महापौर व एक को उपमहापौर के रूप में चुनते हैं। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं। महापौर महानगरपालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। महानगरपालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार-विमर्श होता है। महानगर के विकास संबंधी विविध महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिए जाते हैं।

महानगरपालिका की समितियाँ: महानगरपालिका का प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, परिवहन समिति आदि कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण समितियाँ हैं।

महानगरपालिका का प्रशासन: महानगरपालिका आयुक्त महानगरपालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महानगरपालिका द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन आयुक्त करता है। जैसे- महानगरपालिका

ने यदि प्लास्टिक की थैलियों (कैरी बैग) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया तो उसका प्रत्यक्ष कार्यान्वयन आयुक्त करता है। वह महानगरपालिका का वार्षिक आय-व्यय पत्रक (बजट) तैयार करता है। वह महानगरपालिका की सर्वसाधारण सभाओं में उपस्थित रहता है।



करके देखो

अपनी कक्षा में एक शिक्षा समिति बनाओ। समिति में लड़के व लड़कियों की संख्या समान हो। निम्न विषयों पर यह समिति विचार-विमर्श करके प्रतिवेदन तैयार करें।

(अ) कक्षा में सुविधाएँ

(ब) कक्षा में छोटा ग्रंथालय बनाए जाने का प्रस्ताव

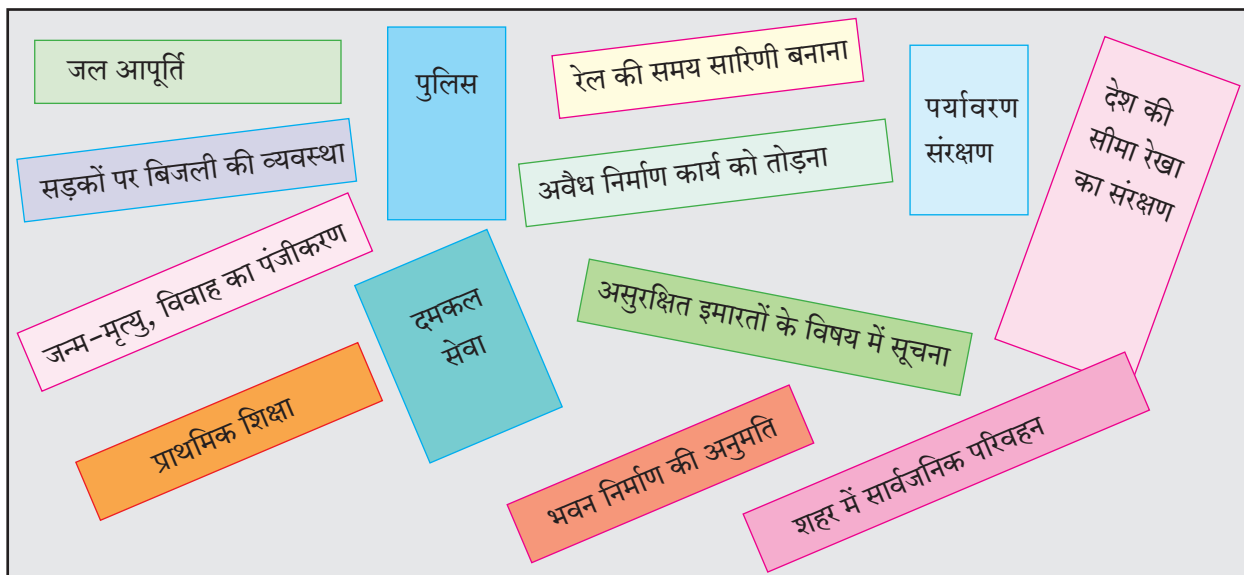
(क) खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन



क्या तुम जानते हो ?

कुल जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात लगभग आधा है। फिर भी राजनीति में स्त्रियों का अभाव दिखाई देता है। अपने दैनिक कामकाज में महिलाएँ भोजन, ईंधन, जल जैसे अनेक कार्य करती रहती हैं, परंतु इन कार्यों के बारे में निर्णय लेने में उनका कोई योगदान नहीं होता। महिलाएँ घर में पानी का उपयोग सावधानी से करती हैं परंतु पानी की समस्या पर विचार-विमर्श करने में उनका कोई सहभाग नहीं होता है। स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिससे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों/समस्याओं का हल निकालने हेतु महिलाओं को अवसर प्राप्त हुआ है।

नीचे दी गई सूची में से महानगरपालिका के कार्य ढूँढो और उनकी एक सूची तैयार करो ।



महानगरपालिका के आय के स्रोत

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| → आवास कर | → मनोरंजन कर |
| → वित्त कर | → ऋणपत्र |
| → जल कर | → राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान |
| → व्यवसाय कर | |

यह पढ़ने पर, तुम्हें क्या लगता है ?

- तुम्हारे नगर में मेट्रो शुरू होने वाली है ?
- चौबीस मंजिला इमारत बनाने की अनुमति मिल गई है ।
- प्रत्येक प्रभाग (वार्ड) में उद्यान व मनोरंजन केंद्र का निर्माण किया जाने वाला है ।
- बगीचे और गाड़ियाँ धोने के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करनेवालों पर कार्यवाही की जाएगी ।
- गीला कचरा अपने ही परिसर में ही रिसाना अनिवार्य कर दिया गया है ।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है ।

महानगरपालिका ने ऐसा क्यों किया ?

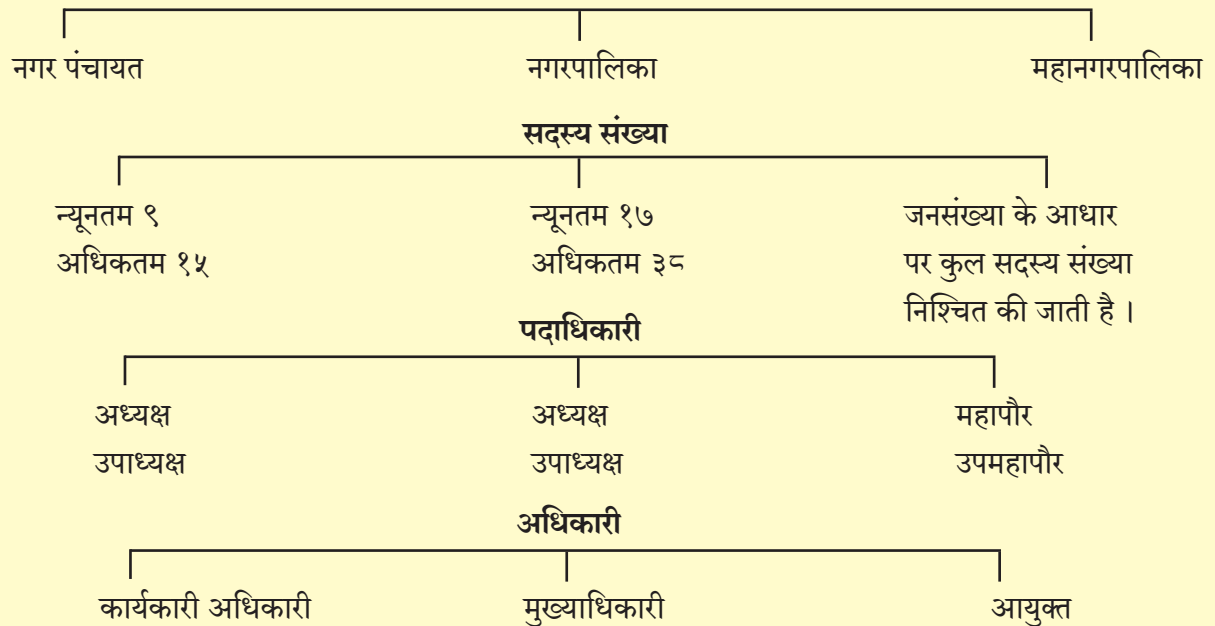
- महानगरपालिका ने पहाड़ियों/टीलों पर वृक्षों को काटकर निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी ।
- डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए अनेक योजनाएँ चलाई ।
- दमकल सेवा अद्यतन की गई ।
- सब्जी मंडी में बाट और तराजू(माप/तौल) की जाँच की ।

क्या करोगे ?

तुम्हारे परिसर में नगरपालिका अथवा महानगरपालिका के अस्पताल कहाँ हैं, वह खोजो।

इस अस्पताल में कौन-कौन-सी सुविधाएँ हैं? अस्पताल में उपचार करवाने के लिए क्या करना पड़ता है?

स्थानीय शासन संस्थाएँ – नगरीय



क्या तुम जानते हो ?

आरक्षण किसे कहते हैं ? यह क्यों आवश्यक है ?

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद, नगर पंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका में जितनी सीटें जनता चुनती हैं; उनमें से कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित होती हैं। इन आरक्षित स्थानों पर इन्हीं वर्गों के लोग चुनकर आते हैं। इसी को सीटों का 'आरक्षण' कहते हैं। इसी तरह कुल सीटों में से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं।

समाज के पिछड़े वर्ग के लोग तथा महिलाएँ गाँव तथा नगर के प्रशासनिक कामकाज में सम्मिलित हो सकें; निर्णयों में सहभागी हो सकें; इसके लिए आरक्षण आवश्यक होता है। लोकतंत्र में सभी को सहभागी होने का अवसर मिलना आवश्यक है।



स्वाध्याय

१. विकल्पों में से उचित विकल्प पहचानो और लिखो ।

- (१) भारत के किस शहर में प्रथम महानगरपालिका की स्थापना की गई
(दिल्ली, मुंबई, आगरा)
- (२) नगर बनने की प्रक्रिया में जो गाँव होते हैं; वहाँ का प्रशासनिक कार्य देखती है ।
(नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर पंचायत)
- (३) नगरपालिका के आर्थिक प्रशासन पर ध्यान रखता है ।
(मुख्याधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त)

२. संक्षेप में उत्तर लिखो ।

- (१) नगरों में कौन-कौन-सी समस्याएँ दिखाई देती हैं?
- (२) महानगरपालिका की विविध समितियों के नाम लिखो ।

३. नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं संबंधी जानकारी देने वाली सूची तैयार करो ।

४. बताओ तो

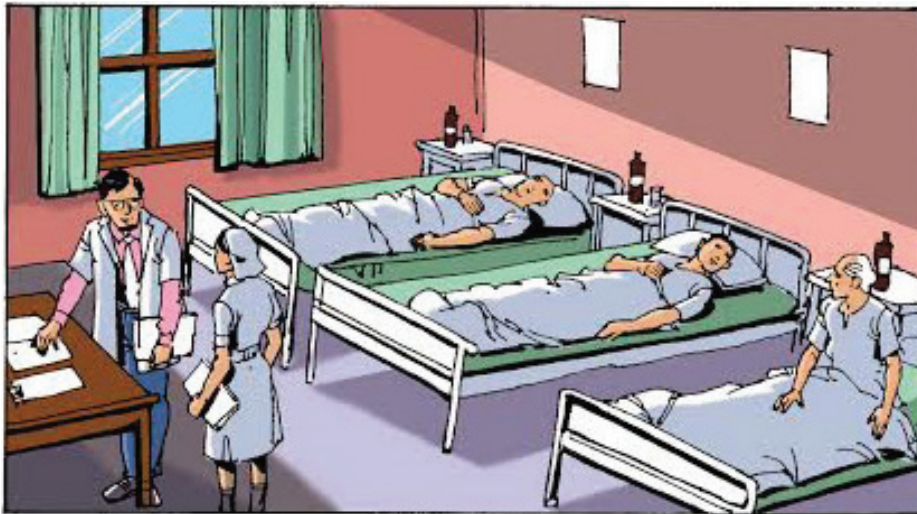
- (१) नगरपालिका के अनिवार्य कार्यों में किन कार्यों का समावेश होता है?
- (२) नगर पंचायत कहाँ होती है?

५. तुम्हारे जिले में कहाँ-कहाँ नगरपालिका, नगर पंचायत व महानगरपालिका कार्य देखती है । उनके नामों की सूची तैयार करो ।

उपक्रम :

- (१) संक्रामक रोगों का फैलाव न हो इसलिए स्वास्थ्य जनजागृति विषय से संबंधित घोषवाक्य तैयार करके कक्षा में लगाओ ।
- (२) अपने क्षेत्र की महानगरपालिका में जाओ । वहाँ कौन-कौन-से नए उपक्रम चलाए जाने की योजना बनी है; उनकी जानकारी एकत्र करो । तुम उनमें अपना क्या योगदान दे सकते हो , इसपर कक्षा में विचार-विमर्श करो ।

मुद्दे	नगर पंचायत	नगरपालिका	
पदाधिकारी			
सदस्य संख्या			
अधिकारी			



अस्पताल

५. जिला प्रशासन

५.१ जिलाधिकारी

५.२ जिला पुलिस प्रमुख

५.३ जिला न्यायालय



ऐसे प्रश्न तुम्हारे मन में आते होंगे ना? जिला परिषद यह पंचायती राज्य व्यवस्था अर्थात् ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का एक घटक है। परंतु हमारे महाराष्ट्र में जिले का प्रशासन जिला परिषद के साथ-साथ जिलाधिकारी द्वारा भी चलाया जाता है। केंद्र शासन व राज्य शासन इस प्रशासन में सहभागी होते हैं।

५.१ जिलाधिकारी

जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राज्य शासन करता है। जिलाधिकारी को भूमिकर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु अनेक कार्य करने पड़ते हैं। निम्न तालिका के आधार पर हम इसको समझेंगे।

जिलाधिकारी ↓			
कृषि/खेती	कानून व व्यवस्था	चुनाव अधिकारी	आपदा प्रबंधन
भूमिकर (लगान) एकत्रित करना।	जिले में शांति प्रस्थापित करना।	चुनाव योग्य पद्धति से संपन्न करवाना।	आपदा के समय तुरंत निर्णय लेकर होने वाली हानि को रोकना।
खेती से संबंधित कानूनों का पालन करना।	सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित रखना।	चुनाव संबंधी आवश्यक निर्णय लेना।	आपदा प्रबंधन व्यवस्था को निर्देश देना।
सूखे व चारे की कमी पर उपाय योजना करना।	सभाबंदी, कफ्यू (निषेधाज्ञा/घरबंदी) लागू करना।	मतदाता सूची अद्यतन करना।	आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वसन करना।



क्या तुम जानते हो ?

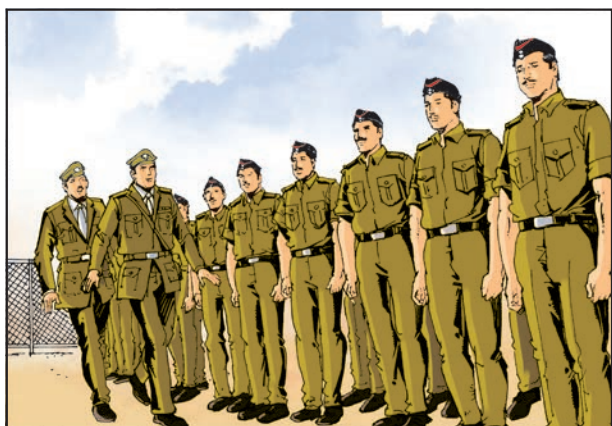
सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना महत्वपूर्ण क्यों होता है?

समाज में होनेवाले विवाद, झगड़ों और संघर्ष का निवारण शांतिपूर्वक ढंग से होना चाहिए, परंतु कभी-कभी ऐसा नहीं होने पर अशांति निर्माण होती है। जिससे हिंसक घटनाएँ होती हैं और सामाजिक स्वास्थ्य नष्ट होता है। इससे हमारे विकास में बाधा निर्माण होती है। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचती है। ऐसा न हो; इसके लिए जिलाधिकारी प्रयत्नशील रहता है; परंतु नागरिकों को भी सामाजिक शांति, सुव्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देना चाहिए।

तहसीलदार : प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है। तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है।

५.२ जिला पुलिस प्रमुख

महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है। वह जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। जिले में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस प्रमुख जिलाधिकारी की मदद करता है। शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस आयुक्त पर होता है।



पुलिस अधीक्षक पुलिस दल का निरीक्षण करते हुए।

जिला प्रशासन



५.३ जिला न्यायालय

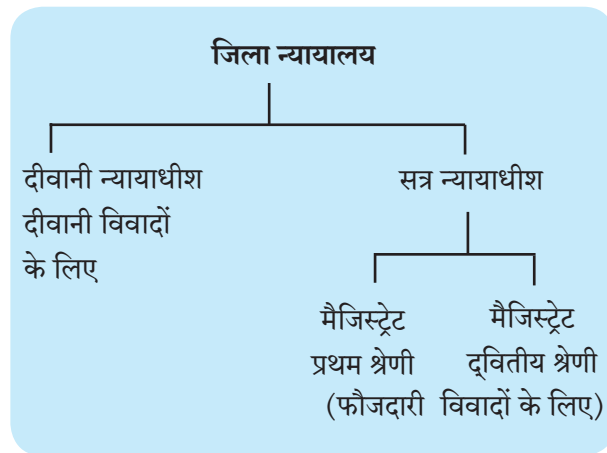
अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालय को करने पड़ते हैं।

भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मिति की है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च (उच्चतम) न्यायालय होता है। उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। उसके अधीन कनिष्ठ न्यायालय होते हैं। इसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश होता है।



न्यायालय का कामकाज

जिला स्तर के न्यायालय को 'जिला न्यायालय' कहा जाता है। उसमें एक मुख्य जिला न्यायाधीश व अन्य कुछ न्यायाधीश होते हैं। जिले के विभिन्न मामलों की सुनवाई तथा उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य जिला न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है।



आपदा प्रबंधन

हमें विविध आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फटना, ओलावृष्टि, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ दंगे-फसाद, बाँध का टूटना, बमविस्फोट, संक्रामक रोग जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी आपदाओं से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है। जन-धन हानि भी होती है। अतः पुनर्वसन की समस्या भी महत्वपूर्ण बन जाती है। आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को 'आपदा प्रबंधन' कहा जाता है। आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है। तकनीकी विकास के कारण आजकल अनेक आपदाओं का पूर्वानुमान भी हो जाता है। जैसे- बाढ़, आँधी-तूफान की पूर्वसूचना देनेवाली प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। इन प्रणालियों से खतरे की सूचना मिल जाती है।



यह हमेशा ध्यान रखें...

आपदा के समय सतर्क रहना आवश्यक है। आपदा का सामना करने के लिए लोगों व विभिन्न संस्थाओं की मदद की आवश्यकता होती है। उनसे त्वरित संपर्क किया जा सके; इसके लिए अपने घर के दर्शनीय हिस्से पर अस्पताल, पुलिस, दमकल विभाग, रक्तपेढ़ी (ब्लड बैंक) आदि के फोन नंबर लिखकर रखें। अपने मित्रों से भी ऐसा करने के लिए कहें।



क्या तुम जानते हो ?

महाराष्ट्र में अनेक अधिकारियों ने प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए। उनके द्वारा किए गए इन प्रयोगों के कारण लोगों को मिलनेवाली सेवाओं में सुधार हुआ। परिणामतः प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा अच्छी और सकारात्मक बनने लगी और नागरिकों की प्रतिक्रिया व प्रशासन को मिलनेवाले सहयोग में वृद्धि हुई।

(अ) लखीना पैटर्न : प्रशासन कार्यक्षम बने, नागरिकों को मिलनेवाली सार्वजनिक सेवाएँ उत्तम और स्तरीय हों; इसके लिए अहमदनगर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री. अनिलकुमार लखीना ने प्रशासन में विविध सुधार किए। उन्हीं को 'लखीना पैटर्न' कहा जाता है। कार्यपद्धति का प्रमाणीकरण, लोगों को आसान भाषा में नियम समझाना आदि प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। लोगों के विविध कार्य एक ही छत के नीचे हों; इसलिए उन्होंने एक खिड़की योजना शुरू की।

(ब) दलवी पैटर्न : पुणे जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री. चंद्रकांत दलवी द्वारा किए गए

प्रशासनिक सुधारों को 'दलवी पैटर्न' कहा जाता है। टेबल पर कागजों और फाइलों के ढेर न लगने देना, किसी भी काम का निपटारा उसी दिन करना व निर्णय लेने में गतिशीलता लाना ही उनके सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। यह पैटर्न जीरो पेन्डन्सी (शून्य विलंब) नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था से निर्णय में होनेवाले विलंब पर रोक लगी। इस पैटर्न से प्रशासन में गति आने लगी।

(क) चहांदे पैटर्न : नाशिक के तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. संजय चहांदे द्वारा किए गए

प्रशासनिक सुधारों को 'चहांदे पैटर्न' के नाम से जाना जाता है। प्रशासन व सामान्य लोगों के बीच की दूरी कम हो; लोगों के प्रति प्रशासन का उत्तरदायित्व बढ़े, जनता के सहयोग से विकास कार्य की प्रधानता तय की जाए; इसके लिए 'ग्रामस्थ दिन' योजना का प्रारंभ किया। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी निश्चित दिन पर गाँव में जाकर लोगों से वार्तालाप करें और उनकी समस्याएँ दूर करने के प्रयास करें। इसके लिए 'ग्रामस्थ दिन' की योजना शुरू की गई।



स्वाध्याय

१. एक वाक्य में उत्तर लिखो।

- (१) जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है?
- (२) तहसीलदार पर कौन-सा उत्तरदायित्व होता है?
- (३) न्यायपालिका का शीर्षस्थ न्यायालय कौन-सा होता है?
- (४) किन-किन आपदाओं की पूर्वसूचना हमें मिल सकती है?

२. उचित जोड़ियाँ मिलाओ।

समूह 'अ'	समूह 'ब'
(अ) जिलाधिकारी	(१) तहसील दंडाधिकारी
(आ) जिला न्यायालय	(२) कानून व सुव्यवस्था बनाए रखना
(इ) तहसीलदार	(३) विवाद निपटाना

३. नीचे लिखे मुद्दों पर विचार-विमर्श करो।

- (१) आपदा प्रबंधन
- (२) जिलाधिकारी के कार्य

४. निम्नलिखित में से तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों बताओ।

- (१) जिलाधिकारी
- (२) जिला पुलिस प्रमुख
- (३) न्यायाधीश

उपक्रम :

- (१) तुम्हारे निकट के पुलिस थाने में जाओ और वहाँ के कामकाज की जानकारी एकत्र करो।
- (२) विभिन्न आपदाओं व उनसे संबंधित बरती जाने वाली सावधानियों व महत्वपूर्ण फोन नंबरों की तालिका तैयार कर कक्षा के दर्शनीय भाग पर लगाओ।
- (३) नए वर्ष के अवसर पर जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, जिला प्रमुख न्यायाधीश को शुभकामनापत्र भेजो।
